शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मई 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

74वां संविधान संशोधन और भारत में नगरीय स्वशासन

डॉ. चन्द्रलेखा सांखला (अतिथि विद्वान)
राजनीति विज्ञान
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजगढ़, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

प्राचीन भारत में स्थानीय शासन मजबूत स्थिति में था। परतंत्र होने के बाद भारत की यह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। आजादी के बाद स्वशासन को शक्ति देने के अनेक प्रयास किये गए। लेकिन असली ताकत 74वें संविधान संशोधन से प्राप्त हुई, जिसे 1992 पारित किया गया। इसके माध्यम से नगरीय संस्थाओं को शक्ति और अधिकार प्रदान किये गए। प्रस्तुत शोध पत्र में संविधान संशोधन के बाद नगरीय स्वशासन में आये बदलावों की पड़ताल की गयी है।

प्रस्तावना

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिसम्बर 1992 को पारित नगरीय स्वायत्त संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा उनके नियमित चुनाव कराकर उन्हें नगरीय स्तर पर शासन-प्रशासन की शक्ति एवं अधिकार देने की पहल करने की दिशा मे पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान द्वारा संविधान भाग 9 'क' जोड़ा गया है। जिसमे कुल 18 अनुच्छेद हैं और नगरपालिकाएं स्वयं कानून बनाकर स्थानीय शासन के कार्यकलापों में नागरिकों को जोड़ने एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

नगर प्रशासन को संवैधानिक आधार प्रदान करना

74वाँ संवैधानिक संशोधन नगरीय निकायों को स्पष्टतः ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिससे उनके स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित होने में सहायता मिल सकेगी तथा राज्य सरकारें यदि सकारात्मक कदम उठायें तो नगरो में स्थानीय स्तर पर नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपने स्तर का शासन स्वयं भी संचालित करने में सक्षम हो सकेंगे। इस अधिनियम के विधेयात्मक बिन्दुओं का निम्न प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है :

1.74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है।

2. इस अधिनियम से पूर्व नगरीय निकायों के चुनाव अनेक वर्षो तक नही हुए तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनको निलम्बित किया जाता रहा। इस अधिनियम द्वारा पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव की बाध्यता, पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही भंग न करना तथा बीच मे भंग होने पर छः माह के अन्दर चुनाव कराने के प्रावधानों ने नगरीय शासन को स्थिरता प्रदान की है। इससे लोकतान्त्रिक भावनाओं को बल मिला है।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मई 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

3.अधिनियम द्वारा सार्वजनिक वित्त का दुरूपयोग रोकने तथा सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को प्राधिकृत किया गया है कि वे नगरीय निकायों के अंकेक्षण की व्यवस्था करें।

4. अधिनियम में वित्त आयोग सम्बंधित उपबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधन सुनिश्चित हुए हैं और इन संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले वित्तीय संसाधन राज्य सरकार के प्रशासकीय निर्णय पर आधारित न होकर निश्चित सिद्धान्तों से शासित हो रहे हैं।

5.अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा महिलाओं के लिए 1/3 पद प्रत्येक स्तर पर आरक्षित कर सामाजिक न्याय को अभिवृद्ध करने का प्रंशसनीय प्रयत्न किया गया है। इन प्रावधानों के फलस्वरूप सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगो को आगे आने का अवसर मिल रहा है। साथ ही महिलाओं में राजनीतिक जागृति आई है।, उनमें अधिकारों के प्रति चेतना पैदा हुई है। वे सीमित दायरे से बाहर आयी हैं तथा सामाजिक जड़ता से मुक्त हुई हैं।

6. राज्य स्तरीय निर्वाचन के उपबन्ध द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के साथ-साथ नगरीय निकायों के चुनाव भी निष्पक्ष रूप से एवं निश्चित समय पर हो रहे हैं और नगरीय निकाय क्रियाशील एवं जीवन्त है।

7. अधिनियम के अन्तर्गत जिला आयोजन समिति का उपबन्ध किया गया है। यह समिति स्थानीय शासन के ग्रामीण व नगरीय निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित रूप प्रदान कर रही है तथा जिले के लिए विकास की समग्र योजना का प्रारूप विकसित करने के लिए सक्षम है। फलस्वरूप योजना अब ऊपर से नहीं थोपी जा रही है तथा योजना - प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। फलस्वरूप स्थानीय लोग स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखकर अपने विकास हेतु योजनओं का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा होने से आमजन की विकास में भागीदारी निश्चित हो रही है। इसी के अगले कदम के रूप में मोहल्ला समितियों का गठन किया जा रहा है।

उपर्युक्त सकारात्मक लक्षणों से युक्त होने पर भी इस संवैधानिक संशोधन की निम्नांकित सीमायें विचारणीय हैः-

1. इस संविधान संशोधन में राज्यों की सदाशयता पर विश्वास करते हुए उन्हें अधिकृत किया गया है कि वे नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियॉ और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। किन्तु कटु सत्य यह है कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र का विकास न होने के लिए मुख्यतः राज्यों का उपेक्षात्मक रूख ही उत्तरदायी रहा है। अतः केन्द्र तथा राज्य सरकारें संशोधन की भावना के अनुरूप जन चेतना से प्रेरित होकर जिस सीमा तक उसे ईमानदारी से लागू करेंगी उस सीमा तक संविधान संशोधन सफल होगा।

2. महिलाओं हेतु 1/3 पदों पर आरक्षण मात्र से यह आशा करना भूल होगी की वास्तविक रूप में उपेक्षित महिलाओं को स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल पायेगा और उनमें नेतृत्व का विकास होगा। वास्तव में महिलाओं में अल्प शिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से इस प्रावधान के दुरूपयोग होने की आशंका से इंकार नही किया जा सकता।

3. वित्त आयोग के गठन के उपरान्त भी राज्यों के सीमित संसाधनों के देखते हुए यह कहना

कठिन है कि वे शहरी निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे पायेंगे।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि 74वें संविधान संशोधन ने नगर प्रशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। इससे उत्तरोत्तर विकास हो रहा है तथा सरकार के तीसरे स्तर पर जिला प्रशासन के स्थान पर जिला सरकार का उदय हो सकेगा। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दलों तथा सामाजिक ताकतों में आम सहमति हो तथा वे एक लोकतांत्रिक चेतना जागृत करते हुए, इस योजना को लागू करके सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय के कार्यो को पूरा करें।

इस प्रकार 74वाँ संवैधानिक संशोधन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक अभीनंदनीय कदम है। वस्तुतः ये संशोधन स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान कर उन्हे सही मायने में सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस संशोधन से नगर स्वराज का सपना साकार होने में सहायता मिल रही है। यद्यपि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. भट्ट आशीष 'जिला सरकार' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली

2. भारत का संविधान